संख्या-17/2025/001-1624580(1)/12-2099/58/2022

प्रेषक,

गुन्जन दुबे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2025

विषय-वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-01-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस0एफ0-1707-जी/4401-01/पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 27 फरवरी 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-277-05-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअपइक्यूवेशन सेंटर / -की स्थापना24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि **रू0 500.00** लाख, लेखाशीर्षक 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-277-2706-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में ऑडीटोरियम की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि **रू0 920.00** लाख, लेखाशीर्षक 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-277-2708-नवनिर्मित केन्द्रीय पुस्तकालय भवन पर सोलर फोटा वोल्टइक की स्थापना-26-मशीने और सज्जाउपकरण और संयंत्र में / प्राविधानित धनराशि **रू0 150.00** लाख, लेखाशीर्षक 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-277-शिक्षा-2803-मुख्य परिसर पर 500 कि0ली0 क्षमता से शिरोपरि जलाशय का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि **रू0 150.00** लाख, लेखाशीर्षक 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-277-शिक्षा-2805-विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में 1500 क्षमता के ऑडीटोरियम का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि **रू0 1000.00** लाख, लेखाशीर्षक 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-277-शिक्षा-2806-विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में 30 क्षमता का इन्टरनेशनल छात्र छात्रावास का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि **रू0 150.00** लाख, लेखाशीर्षक 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-277-शिक्षा-2809-आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के मुख्य परिसर में एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्राविधानित धनराशि **रू0 150.00** लाख, लेखाशीर्षक 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-277-शिक्षा-2913-टी0वी0 सी0सी0 काम्प्लेक्स का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि **रू0 185.35** लाख, लेखाशीर्षक 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-277-शिक्षा-2914-ऑडीटोरियम का निर्माण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि **रू0 1000.00** लाख, लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-107-वनस्पति संरक्षण-03-कीटनाशक औषधियों की खरीद की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में प्राविधानित धनराशि **रू0 1300.00** लाख एवं लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-02-बोराबोरी की लागत --एवं प्रासंगिक व्यय मानक मद43 सामग्री एवं सम्पूर्ति में प्राविधानित धनराशि **रू0 98.00** लाख इस प्रकार कुल धनराशि **रू0 5603.35** लाख की उपलब्ध बचत से अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-01-खाद्यान्न/दलहन/तिलहनबीजों की/ लागत और प्रासंगिक व्यय मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में धनराशि रू0 5603.35 **लाख** (रूपये छप्पन करोड़ तीन लाख पैतीस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
3. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यो में आहरित कर व्यय की जायेगी।
6. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
7. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।
8. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व आपके स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिक्ताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 56,03,35,000 (रुपये छप्पन करोड़ तीन लाख पैतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-011 लेखा 4401001030401 खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय मानक मद 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

संख्या-17/2025/001-1624580(2)/12-2099/58/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार द्वितीय/प्रथम-(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार द्वितीय/प्रथम-(सिविल आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20242025-1624580 12 2099 58 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजी परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-01-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीजों की लागत और प्रासंगिक योजना के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में पुनर्विनियोग किए जाने के सम्बन्ध

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	टि
011	4415802770500 (कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्ट-अप / इक्यूवेशन सेन्टर की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	-5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5000000 -	0.00 -	2C 2C
011	4415802772706 (कृषि एव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में ऑडिटोरियम की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	9,20,00,000 रुपये नौ करोड़ बीस लाख मात्र	9,20,00,000 रुपये नौ करोड़ बीस लाख मात्र	-9,20,00,000 रुपये नौ करोड़ बीस लाख मात्र	92000000 -	0.00 -	2C 2C

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

011	4415802772708 (नवनिर्मित केन्द्रीय पुस्तकालय भवन पर सोलर फोटो वोल्टइक की स्थापना)	26 (मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र)	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	-1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	15000000 -	0.00 -	2024-2025
011	4415802772803 (मुख्य परिसर पर 500 कि0ली0 क्षमता से शिरोपरि जलाशय का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	-1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	15000000 -	0.00 -	2024-2025
011	4415802772805 (विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में 1500 क्षमता के ऑडिटोरियम का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	-10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	100000000 -	0.00 -	2024-2025
011	4415802772806 (विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में 30 क्षमता का इन्टरनेशनल छात्र छात्रावास का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	-1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	15000000 -	0.00 -	2024-2025
011	4415802772913 (टी0पी0सी0सी0) काम्प्लेक्स का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,85,35,000 रुपये एक करोड़ पचासी लाख पैंतीस हजार मात्र	1,85,35,000 रुपये एक करोड़ पचासी लाख पैंतीस हजार मात्र	-1,85,35,000 रुपये एक करोड़ पचासी लाख पैंतीस हजार मात्र	18535000 -	0.00 -	2024-2025
011	4415802772809 (आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर में एग्री	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	-1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	15000000 -	0.00 -	2024-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

	ट्रीज्म सेन्टर की स्थापना)							
011	4415802772914 (ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य)	24 (पूंजी निर्माण कार्य)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	100000000	0·00	2024 2025
011	4401001070300 (कीटनाशक औषधियों की खरीद की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सन्निमलित है)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	35,00,00,000 रुपये पैंतीस करोड़ मात्र	13,00,00,000 रुपये तेरह करोड़ मात्र	13,00,00,000 रुपये तेरह करोड़ मात्र	130000000	22000000	202 202
011	4401001030402 (बोरियों की लागत प्रासंगिक व्यय)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	98,00,000 रुपये अट्ठानबे लाख मात्र	98,00,000 रुपये अट्ठानबे लाख मात्र	9800000	3020000	202 202

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित
011	4401001030401 (खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	3,10,00,00,000 रुपये तीन अरब दस करोड़ मात्र	56,03,35,000 रुपये छप्पन करोड़ तीन लाख पैंतीस हजार मात्र	560335000	366033	2 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 में उल्लिखित योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्यों के निर्धारण न होने के कारण बचत हो रही है।

2- स्तम्भ-3 में उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अपेक्षित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय लक्ष्यों में वृद्धि होने के कारण सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हुई है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

बजट-1-875 दि० 28/3/2025

संख्या: आर ई-< 1 > -2024-25, दिनांक- मार्च, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Gunjan Dubey
(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
Date: 28-03-2025 12:26:55
उप सचिव।

संख्या:1624580(1) 12 2099 58 2022दिनांक- मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5. वित्त (आय-व्ययलयक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियाँ में)।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Gunjan Dubey
(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।